8 of the NDDB Act, 1987 are under consideration.

Appointment of the Secretary of NDDB

2135. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Secretary of statutory National Dairy Development Board is a highly professional position;

(b) whether it is a fact that the present Secretary neither has the qualifications nor any background in senior position; and

(c) whether it is also a fact that the present Secretary has been installed without any recruitment policies and without Government's clearance after removal of the previous permanent Secretary who has been downgraded?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) With the coming into force of the National Diary Development Board Act, 1987 w.e.f. 12-10-1987, the National Dairy Development Board, Anand has been declared an institution of national importance and does not have a position of Secretary. However, under Section 18 of the NDDB Act, every full-time officer or other employee, holding office immediately before the appointed day, in the society (NDDB) or the dissolved company (Indian Dairy Corporation), shall on and from the appointed day, become an officer or other employee, as the case may be, of the NDDB on the same terms and conditions of service as he would have had under the society or the dissolved company, as the case may be, and shall continue to do so, unless and until his terms and conditions of service are duly altered by Board.

(b) and (c) The appointment of Secretary of the erstwhile NDDB was made, after considering the suitability of the individual by the Board, who were competent in the matter.

शिवाजी कोआपरेटिव सोसाइटी में हेराफेरी

†2136. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर 1988 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली छावनी की एक सोसाइटी "शिवाजी कोआपरेटिव सोसाइटी" का सदस्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसे संबंध मे समाचार पत्र के मुताबिक तथ्य कहां तक सही हैं और क्या यह सच है कि चैक का इन्दराज सोसाइटी के लेखाओं में वास्तव में नहीं किया गया है ; और

(ग) सोसाइटी के धन की हेराफेरी होने के संबंध में तथ्य क्या हैं और इसका निवारण किस प्रकार किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली कोआपरेटिव सोसायटीज अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अन्तर्गत एक जांच-कार्य चलाया गया था, जिसमें जांच अधिकारी ने पुष्टि की है कि सोसाइटी भूतपूर्व कार्यालय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर निधियों का दुरुपयोग किया गया था। यह भी ठीक है कि सदस्यों से एकत्र किए गए चैकों को सोसायटी के लेखे में दर्ज किया गया था 10,45,110/-रुपये तक की सीमा तक निधियों का दुरुपयोग किया गया था जिसमें से 3,30,3 0/-रुपये की राशि अब सोसायटी के भूतपूर्व कार्यालय अधिकारियों द्वारा जमा करा दी गई है। कार्यालय अधिकारियों से आवश्यक वसूली करने के लिए उन पर ऋण देयता निर्धारित करने

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1504, 10 मई, 1988 से स्थानान्तरित।

के लिए धारा 59 के अन्तर्गत एक जांच का आदेश दिया गया है।

दिल्ली छावनी से बाहर के सदस्यों के पंजीयन के संबंध में, ग्राम सभा से जनरल बाडी) ने कार्य का क्षेत्र "दिल्ली छावनी" से "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" तक बढ़ाने की सिफारिश की है। उपनियमों के संशोधन का प्रस्ताव सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के विचाराधीन है।

नए पंजीकृत किए गए सदस्यों से प्रीमियम लेने का आरोप दस्तावेज प्रभावों के अभाव में नहीं लगाया जा सका। इसी बीच सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कराए जाने के पश्चात् नई प्रबंध समिति सत्ता में आ गई।

कृषि विश्वविद्यालय

2117. **श्री शरद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987 के अन्त में देश में कृषि विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर हैं ;

(ख) 1987-88 के वर्ष के दौरान इन कृषि विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को कितना-कितना अनुदान दिया गया ;

(ग) इन विश्वविद्यालयों के अधीन कौन-कौन से फार्म घाटे में चल रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि जबलपुर में स्थापित जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुका है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है कि यह कृषि विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है :

(1) राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास

(2) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना

प्रत्येक विश्वविद्यालय को इन दो स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के दौरान दिए जाने वाले अनुदान का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**।

(ग) राज्य के कृषि विश्वविद्यालय राज्य स्तर के स्वायत्तशासी संस्थान हैं। इनके कार्यों से प्राप्त धन संबंधी मामलों पर परिषद् किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं रखता है।

(घ) ऐसा समझा जाता है कि वर्ष 1987-88 के अन्त तक जबलपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 12.81 करोड़ रु० के घाटे में चल रहा था।

(ङ) पता चला है कि इस समस्या की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति नियुक्त की है।